



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169817

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7958/2026

अबुल कलाम

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : शरीफ अहमद

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 326 सन् 2020, धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (जिसे आगे 'गैंगस्टर्स अधिनियम' कहा गया है), थाना-कोतवाली नगर, जनपद-मऊ के अन्तर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- 3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग की है:-
 - i)- गैंग चार्ट में उल्लिखित एकमात्र मूल प्रकरण के आधार पर आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और उक्त प्रकरण में आवेदक अग्रिम जमानत पर है।
 - ii)- गैंगस्टर्स अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रारम्भ में आवेदक का नाम नहीं था, तथापि, अनुपूरक गैंग चार्ट में उसका नाम सम्मिलित किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii)- गैंग चार्ट में उल्लिखित मूल प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

iv)- आवेदक लगभग 76 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है।

v)- समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त शैरफुल हक @ हाजी मुममुन @ गुंगुन को इस न्यायालय द्वारा नाबेल संख्या 7691 सन् 2026 में पारित दिनांक 06.08.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, वह आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तथ्यों संबंधी कथनों का खंडन नहीं कर सके।

5- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। उसका नाम एकमात्र मूल प्रकरण के आधार पर तैयार किए गए अनुपूरक गैंग चार्ट में सामने आया है। गैंग चार्ट में दर्शाए गए उक्त एकमात्र मूल प्रकरण में आवेदक अग्रिम जमानत पर है।

7- उपर्युक्त विवेचित प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण बनाया है।

8- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9- उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक-**अबुल कलाम** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i)- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii)- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv)- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

12 अगस्त, 2026

कीर्ति